रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25122025-268803
CG-DL-E-25122025-268803

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5795]	नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2025/पौष 3, 1947
No. 5795]	NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2025/PAUSHA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5994(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.**4972 (ई) दिनांक 03 नवंबर 2025,** जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के चिकमगलूर जिले में NH206 के कि.मी. 174+000 से कि.मी.217+000 (तुमकुर- शिमोगा सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"08 नवंबर 2025"** को **" विजया कर्नाटक" (कन्नड़)** और **"द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया"(अंग्रेज़ी)** दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के चिकमगलूर जिले में NH206 के कि.मी. 174 +000 से कि.मी.217 +000(तुमकुर -शिमोगा अनुभाग) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक			**जिले का नाम: चिकमगलूर**		
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
तालुक का नाम: तरिकेरे					
गांव का नाम: पिरूमेनहल्ली					
1	8	निजी	ड्राय	0.3237	मुनीरा सैयद डबल्यू/ओ लेट टी एँन् सैयद रहमथुल्ला, सैयद शफीउल्ला टी आर् एँस्/ओ लेट टी एँन् सैयद रहमथुल्ला, टी आर् सैयद रफीउल्ला एँस्/ओ लेट टी एँन् सैयद रहमथुल्ला, टी आर् सैयद समीउल्ला एँस्/ओ लेट टी एँन् सैयद रहमथुल्ला, टी आर् सैयद कलीमुल्ला एँस्/ओ लेट टी एँन्

					सैयद रह्मथुल्ला 8
गांव का नाम: गालीहल्ली					
2	61/2	निजी	गार्डन	0.1062	ऍन् निंगप्पा ऍस्/ओ लेट कलासैयाना नागप्पा 61/2
Total				**0.4299**	

[फा. सं. NHAI/4lane TMK-SMG/LA/Karnataka/Notif./3a-Corrigendum/PIU-Shimoga/NH-206/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2025

S.O. 5994(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O 4972(E) dated 3th November 2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH206 on the stretch of land from Km 174+000 to Km 217+000 (Tumkur to Shimoga section) of NH-206 in the district of CHIKKAMANGALURU in the state of KARNATAKA;

And whereas the substance of the said notification has been published in "**Vijaya Karnataka" (Kannada) and "The Times of India" (English) both dated 08th November 2025**;; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within in the stretch of land from Km.174+000 to 217+000 (Tumkur to Shimoga section) of NH206 in the district of CHIKKAMANGALURU in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA			**District: CHIKKAMAGALURU**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Tarikere					
Village: Pirumenahalli					
1	8	Private	dry	0.3237	Munira Syed W/o Late T N Syed Rahamathulla, Syed Shafiulla T R S/o Late T N Syed Rahamathulla, T R Syed Rafiulla S/o Late T N Syed Rahamathulla, T R Syed Samiulla S/o Late T N Syed Rahamathulla, T R Syed Kalimulla S/o Late T N Syed Rahamathulla 8
Village: Galihalli					
2	61/2	Private	Garden	0.1062	N Ningappa S/o Late Kalasaiahna Nagappa 61/2
			Total	**0.4299**	

[F. No. NHAI/4lane TMK-SMG/LA/Karnataka/Notif./3a-Corrigendum/PIU-Shimoga/NH-206/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA